रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शनिवार, 3 अप्रैल, 1976
चैत्र 14, 1898 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

राजस्व अनुभाग-1

संख्या 43/2-5 (1)-76--राजस्व-1

लखनऊ, 3 अप्रैल, 1976

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11, 1976) द्वारा यथा संशोधित उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1961) की धारा 44 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:--

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (षष्टम संशोधन) नियमावली, 1976

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (षष्टम संशोधन) नियमावली, 1976 कहलायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 18-क का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण नियमावली, 1961 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) में, स्तम्भ-1 में दिये गये नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रखा जायगा:--

स्तम्भ-1 वर्तमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
18-क--नियम 18 में निर्दिष्ट प्रयोग तथा अध्यासन के लिए क्षतिपूर्ति की राशि, उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार अवधारित की जायगी:--	18-क--नियम 18 में निर्दिष्ट प्रयोग तथा अध्यासन के लिये क्षतिपूर्ति की राशि, निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार अवधारित की जायगी:--
(क) खण्ड (घ) में यथा उपबन्धित के सिवाय, क्षतिपूर्ति प्रत्येक फसल (खरीफ और रबी) के सम्बन्ध में पृथक-पृथक सुनिश्चित की जायगी;	(क) खण्ड (घ) में यथा उपबन्धित के सिवाय, क्षतिपूर्ति प्रत्येक फसल (खरीफ और रबी) के सम्बन्ध में पृथक-पृथक सुनिश्चित की जायगी;

स्तम्भ—1 वर्तमान नियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ख) 1380 फसली की खरीफ से प्रारम्भ होने वाली प्रथम पांच फसलों के लिये प्रत्येक फसल के निमित्त क्षतिपूर्ति वार्षिक मालगुजारी के बराबर होगी जिसकी गणना सम्बद्ध भूमि पर प्रयोज्य स्वीकृत मौरूसी दरों पर की जायगी ;	(ख) 1381 फसली की खरीफ के प्रारम्भ होने वाली प्रथम पांच फसलों के लिये प्रत्येक फसल के निमित्त क्षतिपूर्ति वार्षिक मालगुजारी के बराबर होगी जिसकी गणना सम्बद्ध भूमि पर प्रयोज्य मौरूसी दरों पर की जायगी ;
(ग) 1382 फसली की रबी से प्रारम्भ होने वाली शेष फसलों के लिये प्रत्येक फसल के निमित्त क्षतिपूर्ति वार्षिक मालगुजारी के 6—1/4 गुने के बराबर होगी जिसकी गणना सम्बद्ध भूमि पर प्रयोज्य स्वीकृत मौरूसी दरों पर की जायगी;	(ग) 1383 फसली की रबी से प्रारम्भ होने वाली शेष फसलों के लिये प्रत्येक फसल के निमित्त क्षतिपूर्ति वार्षिक मालगुजारी के 6—1/4 गुने के बराबर होगी जिसकी गणना सम्बद्ध भूमि पर प्रयोज्य स्वीकृत मौरूसी दरों पर की जायगी ;
(घ) बाग भूमि के सम्बन्ध में प्रत्येक फसली वर्ष के लिये क्षतिपूर्ति वार्षिक मालगुजारी के पांच गुने के बराबर होगी जिसकी गणना सम्बद्ध भूमि पर प्रयोज्य स्वीकृत मौरूसी दरों पर की जायगी ;	(घ) बाग भूमि के सम्बन्ध में प्रत्येक फसली वर्ष के लिये क्षतिपूर्ति वार्षिक मालगुजारी के पांच गुने के बराबर होगी जिसकी गणना सम्बद्ध भूमि पर प्रयोज्य स्वीकृत मौरूसी दरों पर की जायगी ;
(ङ) क्षतिपूर्ति, अधिनियम के अध्याय 3 के अधीन सम्बद्ध खातेदार को देय राशि से अधिक न होगी, यदि उस भूमि का जिसके सम्बन्द्ध में ऐसी राशि देय है, कब्जा 10 अक्तूबर, 1975 के पूर्व धारा 14 (8) के अधीन लिया गया हो ;	(ङ) क्षतिपूर्ति, अधिनियम के अध्याय 3 के अधीन सम्बद्ध खातेदार को देय राशि से अधिक न होगी, यदि उस भूमि का जिसके सम्बन्ध में ऐसी राशि देय है, कब्जा 10 अक्तूबर, 1975 के पूर्व धारा 14 (8) के अधीन लिया गया हो ;
(च) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रथम पांच फसलों में उगाई गई फसलों के सम्बन्ध में कुल क्षतिपूर्ति अधिनियम के अध्याय 3 के अधीन संबद्ध खातेदार को देय राशि से अधिक न होगी ।	(च) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रथम पांच फसलों में उगाई गई फसलों के सम्बन्ध में कुल क्षतिपूर्ति अधिनियम के अध्याय 3 के अधीन सम्बद्ध खातेदार को देय राशि से अधिक न होगी ।

नियम 59 (3) का संशोधन

3—उक्त नियमावली में, स्तम्भ—1 में दिये गये उप नियम के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया उप नियम रखा जायगा:—

स्तम्भ—1 वर्तमान उपनियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
59—(3) उप नियम (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक बन्दोबस्त की दशा में निम्नलिखित निबन्धन तथ शर्तें सम्मिलित समझी जायेंगी, अर्थात्:—	59—(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक बन्दोबस्त की दशा में निम्नलिखित निबन्धन तथा शर्तें सम्मिलित समझी जायेंगी, अर्थात्:—
(क) पट्टेदार को भूमि में मौरूसी अधिकार होगा और उत्तराधिकार उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० के उपबन्धों द्वारा जैसा सीरदारों पर लागू है, नियंत्रित होगा;	(क) पट्टेदार को भूमि में मौरूसी अधिकार होगा और उत्तराधिकार उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० के उपबन्धों द्वारा जैसा सीरदारों पर लागू है, नियंत्रित होगा;
(ख) पट्टेदार भूमि का केवल खेती के लिये या कृषि से सम्बद्ध अन्य प्रयोजनों के लिये उपयोग करने का हकदार होगा;	(ख) पट्टेदार भूमि का केवल खेती के लिये या कृषि से सम्बद्ध अन्य प्रयोजनों के लिये उपयोग करने का हकदार होगा;
(ग) खण्ड (घ) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, पट्टेदार न तो भूमि का अन्तरण करेगा और न उसे शिकमी पट्टे पर देगा;	(ग) खण्ड (घ) और (ङ) में उपबन्धित मामलों के सिवाय किसी पट्टेदार को उसके पक्ष में बन्दोबस्त की गयी या पट्टे पर दी गयी भूमि को अन्तरित करने या शिकमी पट्टे पर देने का अधिकार नहीं होगा ।
(घ) पट्टेदार को उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० की धारा 153 (2) के अनुसार भूमि-बंधक रखने (जिसके अन्तर्गत प्रभार भी है) का अधिकार होगा;	(घ) पट्टेदार को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० की धारा 153 (2) के अनुसार भूमि बन्धक रखने (जिसके अन्तर्गत प्रभार भी है) का अधिकार होगा ।

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ङ) पट्टेदार राज्य सरकार को इस प्रकार बन्दोबस्त की गई भूमि के सम्बन्ध में ऐसा वार्षिक लगान देगा जो भूमि पर प्रयोज्य स्वीकृत मौरूसी दरों पर प्रगणित राशि का दुगुना होगा, जिसका बन्दोबस्त के समय पुनरीक्षण किया जा सकेगा।	(ङ) पट्टेदार को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० की धारा 156 और 157 के अनुसार भूमि को शिकमी पट्टे पर देने का अधिकार होगा और शिकमी पट्टे पर देने से सम्बन्धित उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे; (च) पट्टेदार राज्य सरकार को इस प्रकार बन्दोबस्त की गई भूमि के सम्बन्ध में ऐसा वार्षिक लगान देगा जो भूमि पर प्रयोज्य स्वीकृत मौरूसी दरों पर प्रगणित राशि का दुगुना होगा, जिसका बन्दोबस्त के समय पुनरीक्षण किया जा सकेगा।

अ० जो० सी० आकार-पत्र 11 का प्रतिस्थापन

4––उक्त नियमावली में अ० जो० सी० आकार-पत्र 11 के स्थान पर निम्नलिखित आकार-पत्र रखा जायेगा, अर्थात्––

अ० जो० सी० आकार-पत्र 11

(नियम 23 देखिए)

पत्रावली संख्या–––––––––––––––– **जिला––––––––––––––––**

तहसील––––––––––––––

विवरण-पत्र जिसमें अतिरिक्त भूमि के सम्बन्ध में देय राशि दिखायी गयी है। खातेदार का नाम, पितृ नाम तथा पता––––––––––––––––––––––––––

भाग 1––भूमिधर के रूप में या खाते के समान धृत (धारा 17-क के अधीन अवधारित वार्षिकी वाली भूमि से अन्यथा) अतिरिक्त भूमि के सम्बन्ध में।

क्रम-संख्या	जिला/तहसील	गांव	अ० जो० सी० आकार-पत्र 8 की क्रम-संख्या	खाते का प्रकार	स्तम्भ–4 के अन्तर्गत अतिरिक्त भूमि का (एकड़ में) क्षेत्रफल	अ० जो० सी० आकार-पत्र 8 के स्तम्भ–12 में मौरूसी दर पर मालगुजारी का योग
1	2	3	4	5	6	7

अ० जो० सी० आकार-पत्र 8 के स्तम्भ 13 के अनुसार देय मालगुजारी का योग	अ० जो० सी० आकार-पत्र 8 के स्तम्भ 15 में देय मालगुजारी और मौरूसी दरों पर मालगुजारी के अन्तर का योग	स्तम्भ 7 की धनराशि का चालीस गुना
8	9	10

स्तम्भ 9 की धनराशि का 20 गुना	देय राशि (स्तम्भ 10 युत 11)	असामी/शिकमी काश्तकार का नाम, पितृनाम, तथा निवास स्थान
11	12	13

यदि असामी/शिकमी काश्तकार अधिनियम की धारा 17 (2) में उल्लिखित हो			यदि असामी उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 11 के अधीन हो	
स्तम्भ 12 की धनराशि का एक चौथाई	अव्यतीत अवधि का जैसा अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 8 के स्तम्भ 20 में है	अव्यतीत अवधि के लिये धनराशि (स्तम्भ 7×15)	असामी/शिकमी काश्तकार को देय धनराशि (स्तम्भ 14 या 16 जो भी कम हो)	भूमिधर को देय वास्तविक राशि (स्तम्भ 12 का योग जिससे स्तम्भ 17 ऋण किया गया हो)	अभ्युक्ति
14	15	16	17	18	19

भाग 2—सीरदार/दखोलकार काश्तकार, साकितुल मिल्कियत काश्तकार या गारन्टी के रूप में धृत फेवरेबुल रेट आफ रेन्ट/या ऐकिन खाते पर अतिरिक्त भूमि के सम्बन्ध में ।

क्रम-संख्या	जिला/तहसील	गांव	अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 8 की क्रम-संख्या	खाते का प्रकार	स्तम्भ 4 के अन्तर्गत अतिरिक्त भूमि का (एकड़ में) क्षेत्रफल	अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 8 के स्तम्भ 12 में मौरूसी दरों पर मालगुजारी या लगान का योग
1	2	3	4	5	6	7

मौरूसी दरों पर मालगुजारी या लगान जो कि अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 8 के स्तम्भ 15 में देय था, के अन्तर का योग	स्तम्भ 7 तथा 8 का कुल योग	देय प्रतिकर (स्तम्भ 9 का बीस गुना)
8	9	10

अधिनियम की धारा 17 (2) में उल्लिखित असामी/शिकमी काश्तकार की दशा में—

उसका नाम, पितृ नाम तथा निवास स्थान	स्तम्भ 10 की धनराशि का एक चौथाई	अव्यतीत अवधि जैसा अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 8 के स्तम्भ 20 में है	अव्यतीत अवधि के लिये धनराशि (स्तम्भ 7X स्तम्भ 13)	असामी/शिकमी काश्तकार को देय धनराशि स्तम्भ—12-या 14 जो भी कम हो)	खातेदार को देय वास्तविक प्रतिकर स्तम्भ—10 का योग जिसमें स्तम्भ 15 का योग ऋण किया गया है	अभ्युक्ति
11	12	13	14	15	16	17

भाग—3—उस अतिरिक्त भूमि के सम्बन्ध में जो धारा 17 के अधीन अनुसूची के भाग 1 की मद (ख) में उल्लिखित किसी असामी तथा अनुसूची के भाग 2 की मद (ख) में उल्लिखित अन्य काश्तकारों द्वारा धृत हो।

क्रम-संख्या	जिला/तहसील	गांव	अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 8 की क्रम-संख्या	खाते का प्रकार	स्तम्भ 4 के अन्तर्गत अतिरिक्त भूमि का (एकड़ों में) क्षेत्रफल	अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 8 के स्तम्भ 13 में देय लगान का योग
1	2	3	4	5	6	7

देय राशि (स्तम्भ 7 का 5 गुना)	अभ्युक्ति
8	9

टिप्पणी—प्रविष्टियां ग्रामवार की जायेंगी परन्तु गांव के अतिरिक्त भूमि विभिन्न खातेदारों द्वारा धृत हों तो राशि प्रत्येक प्रकार के खाते के लिये पृथक-पृथक निकाली जायेगी। यदि असामी/शिकमी काश्तकार भी हों तो राशि उस भूमि के सम्बन्ध में जो केवल खातेदार द्वारा धृत थी और ऐसी भूमि के सम्बन्ध में जो शिकमी काश्तकारों/असामियों के कब्जे में थी, पृथक-पृथक निकाला जायगा।"

अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 36 का संशोधन

5—उक्त नियमावली में अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 36 के स्थान पर निम्नलिखित आकार-पत्र रखा जायगा, अर्थात्—

अ0 जो0 सी0 आकार-पत्र 36

(नियम 59 देखिये)

नियम 59 के साथ पठित धारा 26-क, 27 तथा 28 के अधीन पट्टेदार के साथ अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त करने के लिये पट्टा।

मैं----------जिले के कलेक्टर/----------
जिले के----------परगने के प्रभारी प्रथम श्रेणी के असिस्टेंट कलेक्टर ने,
निम्नलिखित भूमि का थी----------पुत्र-------
----------निवासी----------गांव----------
तहसील----------जिला----------के साथ
1 जुलाई----------से निम्नलिखित शर्तों तथा निबन्धनों पर बन्दोबस्त किया है—

(1) पट्टेदार नियम 59 (3) में उल्लिखित शर्तों तथा निबन्धनों का पालन करेगा

स्तम्भ 2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

59(3)—उपनियम (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक बन्दोबस्त की दशा में निम्नलिखित निबन्धन तथा शर्तें सम्मिलित समझी जावेंगी, अर्थात्—

(क) पट्टेदार को भूमि में मौरूसी अधिकार होगा और उत्तराधिकार उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० के उपबन्धों द्वारा जैसा सीरदारों पर लागू है, नियंत्रित होगा;

(ख) पट्टेदार भूमि का केवल खेती के लिये या कृषि से सम्बद्ध अन्य प्रयोजनों के लिये उपयोग करने का हकदार होगा;

(ग) खण्ड (घ) और (ङ) में उपबन्धित मामलों के सिवाय किसी पट्टेदार को उसके पक्ष में बन्दोबस्त की गयी या पट्टे पर दी गयी भूमि को अन्तरित करने या शिकमी पट्टे पर देने का अधिकार नहीं होगा;

(घ) पट्टेदार को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० की धारा 153 (2) के अनुसार भूमि बन्धक रखने (जिसके अन्तर्गत प्रभार भी है) का अधिकार होगा;

(ङ) पट्टेदार को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० की धारा 156 और 157 के अनुसार भूमि को शिकमी पट्टे पर देने का अधिकार होगा और शिकमी पट्टे पर देने के सम्बन्धित उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे;

(च) पट्टेदार राज्य सरकार को इस प्रकार बन्दोबस्त की गई भूमि के सम्बन्ध में ऐसा वार्षिक लगान देगा जो भूमि पर प्रयोज्य स्वीकृति मौरूसी दरों पर प्रमाणित राशि का दुगुना होगा, जिसका बन्दोबस्त के समय पुनरीक्षण किया जा सकेगा।

(2) ----------रुपये का लगान प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित किस्तों में निम्नलिखित दिनांकों पर देय होगा, अर्थात्—

दिनांक----------को----------रुपया
दिनांक----------को----------रुपया

भूमि का ब्यौरा—

गाटों की खसरा संख्या----------
क्षेत्रफल----------
गांव----------
तहसील----------

(1) साक्षी
(2) साक्षी

---------- जिले के कलेक्टर/ ---------- जिले के----------परगने के प्रभारी प्रथम श्रेणी के असिस्टेंट कलेक्टर के हस्ताक्षर।

टिप्पणी:—दिनांक 12 जुलाई, 1973 तक यथा परिष्कृत तथा संशोधित उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण नियमावली, 1961 को बाद में नीचे उल्लिखित अधिसूचनाओं के अधीन संशोधित किया गया :—

(1) संख्या 11/11-3(2)-73-राजस्व-1, दिनांक 20 जुलाई, 1974 ई०।
(2) संख्या 2(2)/75-राजस्व-1, दिनांक 2 अप्रैल, 1975।

(3) संख्या 1127/राजस्व–1––2(3)-75, दिनांक 18 जून, 1975।
(4) संख्या 1–67/75–राजस्व–1, दिनांक 18 सितम्बर, 1975।
(5) संख्या 4411/2(9)–75–राजस्व–1, दिनांक 6 जनवरी, 1976।

———